न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 75/2017

मिर्जा खलीक उल्ला बैग एडवोकेट निवासी नजरबाग राज टाकीज रोड टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक –प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> **दिनांक 20.12.2017**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 08.09.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

नकल दैनिक डायरी वर्ष 2013 से 2017 तक हाल गिरदावर कस्बा टोंक की

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र क्रमांक 1760 दिनांक 07.11.2017,1836 दिनांक 16.11.2017,1931 दिनांक 23.11.2017,1986 दिनांक 30.11.2017,1997 दिनांक 07.12.2017 व अर्द्व शासकीय पत्र क्रमांक 2031 दिनांक 13.12.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक ने पत्र क्रमांक 9249 दिनांक 18.12.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 9157 दिनांक 14.12.2017 से आवेदन पत्र से चाही गई सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते